111

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 329–पीबीआर/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–1999 पारित द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर, अपील प्रकरण कमांक 247/स्व.निग./1998–99.

राजूबाई पिता शिवनारायण
निवासी ग्राम रंगवासा तह.व जिला इंदौर .....आवेदिका

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर
2–परसराम पिता कन्हैयालाल
निवासीग्राम रंगवाला तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदकगण

श्री एच0एन0फड़के, अभिभाषक, आवेदिका
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/12/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–6/1983–84 में दिनांक 17–2–1984 को आदेश पारित कर संहिता की धारा 109, 110 व 190 के अन्तर्गत अनावेदक कमांक 2 की भूमि पर कब्जे के आधार पर आवेदिका का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश में अनियमितता पाते हुये कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर

दिनांक 26–10–1999 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये पटवारी अभिलेख में तत्काल पूर्वानुसार अनावेदक कमांक 2 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही अत्यधिक विलम्ब से की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का 4 – 5 वर्षो से निरन्तर कब्जा होने के आधार पर उसे मौरूसी कृषक मानते हुये उसके पक्ष में तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यक्तिगत पक्षकार के मध्य पारित आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यदि अनावेदक कमांक 2 तहसील न्यायालय के आदेश से परिवेदित था तब उसे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहिये था । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई थी, इसलिये उनका आदेश कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय सहित अधीनस्थ न्यायालयों में तहसील न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं हुआ है, परन्तु कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर जिन कारणों को दर्शाते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका को मौरूसी कृषक के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से भी तहसील न्यायालय में संदेहास्पद कार्यवाही होने के कलेक्टर द्वारा निकाले गये निष्कर्षों की

पुष्टि होती है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–1999 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर